## भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

No. E(NG)I-2018/RE-3/3

New Delhi, dated 02.02.2023

The General Managers (P), All Zonal Railways & Production Units, etc. (As per standard list)

Sub: Fixation of pay of disabled/medically unfit running staff on being appointed against alternative (stationary) posts in revised (7<sup>th</sup> CPC) pay structure.

Ref: Board's letter No.E(NG)I-2018/RE-3/3 dated 14.10.2019 (RBE 171/2019).

As the Railway administrations are aware, instructions contained in Railway Board's instructions of even number dated 14.10.2019 (RBE 172/2019) inter alia provides that while fixing the pay of a medically decategorised running staff in an alternative stationery post, if the resultant pay (after 30 % addition) does not correspond to any cell, in the same pay level, then the pay will be fixed in the next below cell of the same pay level, and difference in pay will be protected as personal pay which will be adjusted in future increment(s).

During the separate discussions held by Member (Finance) with Federation (AIRF) on 10.01.2023 on PNM/AIRF Item No. 26/2021, it has been brought to Board's notice by AIRF that the provisions contained in the aforesaid instructions are not being complied with by certain Railways, and, therefore, it was decided that the same be reiterated.

The instructions issued vide RBE No. 171/2019 are accordingly hereby reiterated for strict compliance.

The Hindi version will follow

Please acknowledge receipt.

Encl: Nil.

Deputy Director Estt.(N)

Railway Board

Tele No. 23303658

तीसरा तल, कमरा नं. 359-A, रेल भवन, नई दिल्ली-110001, ई-मेल sanjay.kumar6@gov.in

Mine Kentrays

## भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. ई(एनजी)I-2018/आरई-3/3

आरबीई सं. 23/2023 नई दिल्ली, दिनांक: 02.02.2023

महाप्रबंधक (कार्मिक), सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां आदि। (मानक सूची के अनुसार)।

> विषय: संशोधित (7वें केंद्रीय वेतन आयोग) वेतन संरचना में वैकल्पिक (स्थिर) पदों पर नियुक्त किए जाने पर दिव्यांग/चिकित्सकीय रूप से अयोग्य रनिंग स्टाफ के वेतन का निर्धारण।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 14.10.2019 का पत्र सं.ई(एनजी)I-2018/आरई-3/3 (आरबीई 171/2019)

जैसा कि रेल प्रशासन को ज्ञात है, रेलवे बोर्ड के दिनांक 14.10.2019 (आरबीई 171/2019) के समसंख्यक अनुदेशों में अंतर्विष्ट अनुदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि वैकल्पिक स्थिर पद में चिकित्सकीय रूप से विकोटिकृत रिनंग स्टाफ का वेतन निर्धारण करते समय, यदि परिणामी वेतन (30% जोड़ने के बाद) उसी पे-लेवल में किसी भी सेल के अनुरूप नहीं है, तो वेतन उसी पे-लेवल के अगले नीचे की सेल में निर्धारण किया जाएगा और वेतन में अंतर को व्यक्तिगत वेतन के रूप में संरक्षित किया जाएगा जिसे भविष्य की वेतनवृद्धियों में समायोजित किया जाएगा।

दिनांक 10.01.2023 को फेडरेशन (एआईआरएफ) के साथ सदस्य (वित्त) द्वारा पीएनएम/एआईआरएफ मद संख्या 26/2021 पर आयोजित अलग से विचारविमर्श के दौरान एआईआरएफ द्वारा बोर्ड के ध्यान में लाया गया है कि उक्त अनुदेशों में अंतर्विष्ट प्रावधानों का कुछ रेलों द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है और, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि इन्हें दोहराया जाए।

तदनुसार आरबीई संख्या 171/2019 द्वारा जारी किए गए अनुदेशों को सख्त अनुपालन के लिए दोहराया जाता है।

कृपया पावती दें। संलग्नक : कोई नहीं

(संजय कुमार)

उपनिदेशक स्थापना (अराजपत्रित)

रेलवे बोर्ड

टेलीफोन नं. 23303658